

17/19 पञ्चवली पेश हुई। प्रमुख फरिश्त
उप./अनुपस्थित। पीदासिन जमींदारी क्षेत्र
/अन्य कार्य में जरा पञ्चवली खतिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 26/12/19
जो पेश हो।

26/19 पञ्चवली पेश हुई। प्रमुख फरिश्त
उप./अनुपस्थित। पीदासिन जमींदारी क्षेत्र
/अन्य कार्य में जरा पञ्चवली खतिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 02/03/2020
जो पेश हो।

02/03/20 पञ्चवली पेश हुई। वकुलाय उज्जयपक्ष उफ
बहस वकील उज्जयपक्ष सुनी गयी। वकील वाडीगण
ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को
दोहराते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा
से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। वकील
प्रतिवादी ने बहस कर निवेदन किया कि प्रतिवादी
सं. विवादित आराजीयात का सह-खातेदार है।
अतः वाद वाडीगण खारिज करमाया जावे।
पञ्चवली, पञ्चवली पर उपलब्ध
राजस्व रिकार्ड एवं बहस वकुलाय उज्जयपक्ष पर
सर्जोर मनन किया गया। चूंकि प्रतिवादी सं.
विवादित आराजीयात का सह-खातेदार है। अतः
सह-खातेदारों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद
घोषणीय नहीं होने के कारण वाद; वाडीगण
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पञ्चवली फौज
शुमार दोहरा नम्बर से कर हो तथा वाद उम्मील
दाखिल हफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक
02/03/2020 को मेरे द्वारा ज्वायलपी मुद्रा

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

स्थित खुले न्यायालय में सुनाया गया। तदनुसार पत्रादि जारी की जा रही है।



(रामजीत सिंह)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्ड